# सुरक्षा संबंधी परियोजनाओं का विवरण नहीं किया जाएगा प्रकाशित

[स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स](#)

हाल ही में **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित **पर्यावरणीय मंज़ूरी** प्राप्त परियोजनाओं का विवरण इसके **परिवेश पोर्टल पर उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।**

- परियोजना का प्रसंस्करण **PARIVESH 2.0 के माध्यम से होगा** किंतु **सुरक्षा-संबंधी परियोजनाओं का विवरण** पोर्टल पर उपलब्ध नहीं कराया जाएगा **और सार्वजनिक रूप से यह अप्राप्य होगा।**
- **वर्ष 2023 में संशोधित** वन संरक्षण अधिनियम, 1980, **के अंतर्गत विशिष्ट परियोजनाओं को** वन मंज़ूरी प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट प्रदान की गई जो निम्नवत है:
    - अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं अथवा नियंत्रण रेखा/वास्तविक नियंत्रण से **100 किमी. के भीतर** स्थित राष्ट्रीय महत्त्व की **रणनीतिक अनुरेखीय परियोजनाएँ (सड़क, रेल इत्यादि)।**
    - **10 हेक्टेयर तक** की वन भूमि से संबंधित **सुरक्षा संबंधी आधारिक संरचना परियोजनाएँ।**
    - वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित ज़िलों में **5 हेक्टेयर वन भूमि** से संबंधित सुरक्षा संबंधी और जनोपयोगी संबंधी आधारिक संरचना परियोजनाएँ।
    - **सड़क/रेल सुविधाओं** तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने हेतु 0.1 हेक्टेयर की **वन-भूमि की आवश्यकता वाली परियोजनाएँ।**
- **परिवेश 2.0, वेब-आधारित एप्लीकेशन** है जिसका उपयोग पर्यावरण, वन, वन्यजीव और तटीय विनियमन क्षेत्रों **के लिये** मंज़ूरी प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन **प्रस्ताव** करने और उनको **ट्रैक** करने के लिये किया जाता है।

# पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA)

**पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) संभावित पर्यावरणीय प्रभावों की भविष्यवाणी और समाधान करने के लिये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्लानिंग के शुरुआती चरणों में किया गया एक अध्ययन है।**

- **वैधानिक स्थिति:** पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (EIA को अनिवार्य बना दिया गया)
- **नोडल मंत्रालय:** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC)
- **परियोजना वर्गीकरण:** वर्ष 2006 की EIA अधिसूचना में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को वर्गीकृत किया गया है:
- **A-श्रेणी प्रोजेक्ट:** MoEF&CC से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) की आवश्यकता
- **B-श्रेणी प्रोजेक्ट:** राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार से पूर्व EC की आवश्यकता।
  - **B1-श्रेणी प्रोजेक्ट** (EIA की आवश्यकता अनिवार्य है)
  - **B2-श्रेणी प्रोजेक्ट** (EIA की आवश्यकता नहीं है)

***प्रोजेक्ट्स की 39 श्रेणियाँ हैं, जिनके लिये पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) प्रक्रिया की आवश्यकता होती है और ये EIA के अधीन हैं।***

## EIA अधिसूचना, 2006 के अनुसार EIA प्रक्रिया

| चरण | उद्देश्य | द्वारा किया गया |
|---|---|---|
| स्क्रीनिंग | EIA की आवश्यकता | राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) (श्रेणी-B) |
| स्कोपिंग | EIA के लिये महत्त्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करता है | EAC के साथ MoEF&CC द्वारा मानक संदर्भ अवधि (ToR) तैयार की गई/श्रेणी-B प्रोजेक्ट्स के लिये SEAC |
| सार्वजनिक परामर्श | प्रभावित लोगों की चिंताओं का समाधान करता है | राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB)/UT प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UTPCB) |
| प्रोजेक्ट्स की समीक्षा | अंतिम EIA रिपोर्ट/पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की जाँच | श्रेणी A प्रोजेक्ट्स के लिये EAC और श्रेणी B1 प्रोजेक्ट्स के लिये SEAC |
| निर्णय लेना | पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) प्रदान करना | श्रेणी A: MoEF&CC<br>श्रेणी B: राज्य EIA प्राधिकरण (SEIAA) |
| निगरानी (EC के बाद) | सामान्य एवं विशिष्ट शर्तों का अनुपालन | SPCB / UTPCB और क्षेत्रीय कार्यालय |

## EC के लिये सरकारी पहल

- **परिवेश (परिवेश इंटरएक्टिव और सदाचारी पर्यावरण सिंगल विंडो हब द्वारा प्रो-एक्टिव रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन):** EC के लिये सिंगल विंडो सिस्टम
  - **MoEF&CC और राष्ट्रीय सूचना केंद्र (NIC)** द्वारा विकसित।
- **पर्यावरण सूचना प्रणाली (ENVIS):** पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित जानकारी एकत्र करना, एकत्रण, भंडारण करना, पुनः प्राप्त करना और प्रसारित करना।
- **पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2020 का मसौदा:** मौजूदा EIA अधिसूचना, 2006 को परिवर्तित करने के लिये MoEF&CC द्वारा प्रकाशित।

Drishti IAS

//

**और पढ़ें:** [परयावरणीय प्रभाव आकलन]

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/non-publication-of-details-of-security-projects